न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण सख्या : 98/2011

1. सुरेन्द्र सिंह
2. भरतसिंह
3. बहादुर सिंह
4. लक्ष्मण सिंह
5. महेन्द्र सिंह

पुत्रान रघुवीर सिंह जाति राजपूत निवासी मूण्डली तह0 मांगरोल

.......प्रार्थीगण

♠ बनाम ♠

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)

वकील प्रार्थीगण : श्री अमित कुमार गौड, श्री विकास कुमार पोरवाल

दायरा दिनांकः 29.04.2011 | निर्णय दिनांक : 13.06.2018

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि जमाबंदी सम्तव 2065–68 में खसरा नं0 30 रकबा 0.44 है0 खसरा नं0 38/812 रकबा 1.58 है0, खसरा नं0 50 रकबा 1.19 है0, खसरा नं0 524 रकबा 0.33 है0, खसरा नं0 579 रकबा 0.81 है0, कुल किता 5 रकबा 4.35 है0 खाता संख्या 127 ग्राम मूण्डली में दर्ज हो रही है। पुरानी जमाबंदी सम्वत 2027–30 में खसरा नं0 6 रकबा 44 बीघा 17 बिस्वा खसरा नं0 13 रकबा 5 बीघा 4 बिस्वा खसरा नं0 14 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नं0 42 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा कुल किता 4 रकबा 55 बीघा 5 बिस्वा खाता संख्या 75 ग्राम मूण्डली में दर्ज है। दौराने सेटलमेंट भू–राजस्व कार्मिको ने प्रार्थी गण की कुल आराजी में 5 बीघा 19 बिस्वा कम दर्ज कर दिया गया जिसको प्रार्थीगण दुरूस्त कराने के अधिकारी है। अतः भू–राजस्व कार्मिको ने गलती से 5 बीघा 19 बिस्वा कम किया हुआ रकबा दुरूस्त कर राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करें।

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दिनांक 29.04.2011 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार मांगरोल को तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया। तहसीलदार मांगरोल जो की लैण्ड होल्डर है व राज्य सरकार का पैरोकार है ने अपनी जांच रिपोर्ट पत्र कमांक/भू0अ0/2018/11

13.06.2018 से प्रस्तुत की। तहसीलदार मांगरोल ने अपनी जांच रिपोर्ट में अंकन किया कि मुताबिक ...दी सम्वत 2027—30 में खाता संख्या 75 में किता 4 रकबा 55 बीघा 5 बिस्वा भूमि माफी वहशाहु ...युम 01.07.1958 रघुवीर सिंह, तेज सिंह पुत्र धूलसिंह हिस्सा 1/2 बराबर लक्ष्मण सिंह पुत्र देवीसिंह हिस्सा 1/2 कोम राजपूत के खाते दर्ज तथा खसरा नं0 साबिक 22 रकबा 5 बिस्वा रघुवीर सिंह पुत्र धूल सिंह नरपत सिंह पुत्र रणजीत सिंह वगै के खाते दर्ज तथा खसरा नं0 साबिक 397 रकबा 4 बीघा 3 बिस्वा 399 रकबा 4 बीघा 3 बिस्वा कुल 8 बीघा 6 बिस्वा भूमि लटूर सिंह पुत्र देवीसिंह 1/2 रघुवीर सिंह तेजसिंह पुत्र धूलसिंह हिस्सा 1/2 कोम राजपूत के खाते दर्ज हाल जमाबंदी सम्वत 2065—68 में किता 5 रकबा 4.35 है0 भूमि सुरेन्द्र सिंह भरतसिंह वगै0 के खाते दर्ज है। मुताबिक मिलान क्षेत्रफल अनुसार

हाल		साबिक	
खसरा नं0	रकबा	खसरा नं0	रकबा
114	0.03 है0	170	4 बिस्वा
30	0.44 है0	42	2 बीघा 12 बिस्वा
38	6.70 है0	6	44 बीघा 17 बिस्वा
43	0.05 है0	22	5 बिस्वा
50	1.19 है0	13, 14	5 बीघा 4 बिस्वा, 2 बीघा 12 बिस्वा
524	0.33 है0	399	4 बीघा 3 बिस्वा
579	0.81 है0	397, 399	4 बीघा 3 बिस्वा, मिन

प्रार्थी कमी रकबे की पूर्ति करवाना चाहता है परन्तु समीपस्थ खसरा नं0 में रकबा बढा हुआ नही होने से कमी रकबे की पूर्ति नही की जा सकती है।

हमारे द्वारा पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया गया। हमारे द्वारा पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने ग्राम मूण्डली की आराजी में दौराने सेटलमेंट हुई कमी रकबे 5 बीघा 19 बिस्वा की कमी पूर्ति किये जाने हेतु निवेदन किया है, संलग्न दस्तावेज एवं तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) जो राज्य सरकार का पैरोकार है कि रिपोर्ट में अंकन किया की प्रार्थी की कमी रकबा की पूर्ति नही की जा सकती है। और ना ही प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में यह स्पष्ट किया है कि कमी रकबे की पूर्ति किस

म्बर से की जानी है। अतः कमी रकबे की पूर्ति किया जाना संभव नही है। प्रार्थना पत्र में संदर्भित की पूर्ति तहसीलदार मांगरोल द्वारा की जा चुकी है। प्रकरण में और कार्यवाही शेष नही होने से वली खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.06.2018 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कोर्ट केम्प महुआ मजमेंआम में सुनाया गया।